साम्प्रदायिक सद्भाव तथा कानून–व्यवस्था बनाये रखने के संबंध में निर्देश

Content

Time: 90 min

1. साम्प्रदायिक सद्भाव तथा कानून–व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देश, क्रमांक 449 दिनांक 13.03.2019
2. जिला मुख्यालयों, नगरों व बड़े कस्बों में रात्रि गश्त व्यवस्था, क्रमांक 849 दिनांक 11.01.2019
3. स्थाई आदेश संख्या 03/2019, क्रमांक 172 दिनांक 01.02.2019
4. आदेश, क्रमांक 72 दिनांक 17.01.2019
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान द्वारा थाने का आकस्मिक निरीक्षण, क्रमांक 3780–3854 दिनांक 13.02.2019
6. लोकसभा चुनाव, 2019 के दौरान विशेष कार्रवाई के संबंध में, क्रमांक 1786–1847 दिनांक 26.03.2019
7. परिपत्र, क्रमांक 1950 दिनांक 16.10.2018
8. महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना के संबंध में राज्य नियंत्रण कक्ष एवं अन्य का दायित्व, क्रमांक 83/22.03.2019 स्थाई आदेश 05/2019
9. पुलिस कर्मियों के मनोबल को उच्चत्तम स्तर पर बनाए रखने व उनकी समस्याओं को सुनकर निस्तारण बाबत् आदेश क्रमांक 536 दिनांक 23.01.2019

अति आवश्यक

# ।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांक:- व-15(110) कानून व्यवस्था/2016/449 दिनांक:- 13-3-2019

## आदेश

**विषय:— साम्प्रदायिक सद्भाव तथा कानून—व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देश।**

राज्य में विभिन्न पर्वों, त्यौंहारों के दौरान शोभायात्रा, जुलूस, मेले इत्यादि का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार की सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक गतिविधियों अथवा अचानक घटित हुए किसी घटनाक्रम के कारण विभिन्न धार्मिक/ राजनैतिक, सामाजिक संगठनों द्वारी रैली, बंद, चक्काजाम एवं जुलूस आदि का आह्वान किया जाता है। इन सभी परिस्थितियों के दौरान जातीय एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बनाया रखना आवश्यक है। कुछ असामाजिक/साम्प्रदायिक शरारती तत्व ऐसे अवसरों का फायदा उठाकर तनाव की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं। इन सभी के मध्यनज़र साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने हेतु सभी स्थलों पर अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाना अपेक्षित है। आशा है आप द्वारा इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक उपाय किये जा रहे होंगे। इस प्रयोजनार्थ अन्य उपायों के अतिरिक्त निम्नलिखित उपाय भी किये जाएं:—

1. आवश्यकतानुसार विभिन्न स्तरों पर शान्ति समिति तथा सी0एल0जी0 की बैठक आयोजित की जाए।
2. इस बैठक में सभी प्रमुख राजनैतिक दलों, धार्मिक संगठनों, उद्योगपतियों, व्यापारिक संगठनों, मजदूरों, शिक्षकों, छात्रों, प्रेस और समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए। चुनाव आचार संहिता लागू होने की स्थिति में उसकी पालना की जाए।
3. बैठक में निम्नलिखित विषयों पर विचार करने का सुझाव है :—
   a) क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना घटित होने पर विरोधस्वरुप जुलूस अथवा प्रदर्शन का आयोजन नहीं किया जाएगा एवं सम्बन्धित विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु समुचित समय दिया जाएगा।
   b) कोई भी नया जुलूस नहीं निकाला जाएगा।
   c) पारम्परिक जुलूसों के लिए भी प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों की पूर्व अनुमति ली जाएगी।
   d) उपरोक्त अनुमति में वर्णित सभी शर्तों का पूर्ण रुप से पालन किया जाएगा।
   e) यथासंभव जुलूस अविवादित रास्तों से निकाला जाएगा व संवेदनशील क्षेत्रों व स्थानों से नहीं निकालने हेतु हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस हेतु आपसी सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा।
   f) जुलुस में कोई भी उत्तेजक नारे नहीं लगाए जाएंगे और प्रस्तावित नारे लगाने के संबंध में पूर्व अनुमति ली जाएगी।
   g) जुलुस में कोई भी हथियार नहीं रहेगा।
   h) विरोध व प्रदर्शन हेतु पुलिस व प्रशासन की सहमति से स्थान चयनित किया जाएगा। भविष्य में सभी विरोध, प्रदर्शन आदि उक्त नियत स्थान पर ही किए जाएंगे तथा आवश्यकता होने पर 5 व्यक्तियों का समूह ज्ञापन सौंपने हेतु सम्बन्धित अधिकारी के पास ले जाया जाएगा।
   i) स्थानीय समस्याओं के विरुद्ध बन्द अथवा चक्का जाम आयोजित नहीं किए जाएंगे।
   j) राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के आयोजन पर भी केवल सांकेतिक बन्द या चक्का जाम किया जाएगा।
   k) धार्मिक स्थलों की स्टिल (Still) व वीडियोग्राफी करवाई जाए ताकि विवाद के मौकों पर उनका उपयोग किया जा सके। यदि आपके जिले के धार्मिक स्थलों की वीडियोग्राफी अथवा

फोटोग्राफी सी.आई.डी. जोन द्वारा पूर्व में ही करवा ली गई हो तो उनसे सी0डी0 अथवा फोटो प्राप्त कर कर सुरक्षित रखे जाएं।

l) बन्द व चक्का जाम के लिए दबाव व शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

m) जुलूस, प्रदर्शन, बन्द व चक्का जाम अथवा किसी भी अन्य परिस्थिति में सार्वजनिक अथवा निजी सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुँचाई जाएगी।

n) किसी भी धार्मिक अथवा अन्य स्थान पर, विशेष अवसरों को छोड़कर, ध्वनि प्रसारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

o) सार्वजनिक अथवा धार्मिक समारोहों में सभी धर्मो के सदस्यों को सम्मिलित किया जाएगा।

p) धार्मिक स्थलों पर विधि के अनुरुप कलक्टर की पूर्व अनुमति के बिना नव–निर्माण अथवा सुधार का कार्य नहीं किया जाएगा।

q) धार्मिक स्थल का प्रबन्धन करने वाले व्यक्ति/न्यास/संस्था उस धार्मिक स्थल की सुरक्षा के लिए उत्तरदाई होंगे।

r) धार्मिक स्थलों पर प्रबन्धन करने वाले व्यक्तियों से सम्पर्क कर स्वयं सेवक (Volunteers) तैनात किए जाएं ताकि तोड़फोड़, चोरी, आदि की अप्रिय घटनाएं घटित न हो सकें। इन स्वंय सेवकों को बारी–बारी से धार्मिक स्थल पर सुलाया जाएगा।

s) मिली जुली आबादी वाले क्षेत्रों में सम्बन्धित समुदायों के स्वयं सेवक (Volunteers) के मिले जुले गश्ती दल बनाकर गश्त कराई जाएगी।

t) मिली जुली आबादी वाले क्षेत्रों में एक–दूसरे समुदाय के व्यक्तियों की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु पड़ोसियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, उस स्थान पर पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों तथा बीट कानि. को उत्तरदाई बनाया जाएगा।

u) अन्य बिन्दु जो आप उपयुक्त समझें।

4. प्रातः काल जल्दी (सूर्योदय के तुरन्त बाद) धार्मिक स्थलों की गश्त की जाए ताकि कोई अप्रिय घटना होने पर उसकी खबर फैलने से पूर्व ही आवश्यक उपाय किए जा सकें।

5. उपरोक्त सभी बिन्दु प्रत्येक स्थान पर सुसंगत नहीं होंगे। अतः स्थान विशेष की आवश्यकतानुसार बिन्दुओं का चयन किया जाए।

6. इन बातों को आमजन पर थोपने के स्थान पर उन्हें शिक्षित कर आवश्यक सुधार के प्रयास किए जाएं।

4. सामुदायिक समन्वय समूह की बैठक में सदस्यों को उपरोक्त बातों से अवगत कराया जाए।

5. बीट कानि. व अन्य पुलिस बल को भी अपने क्षेत्र में भ्रमण के समय उपरोक्त बातों से आमजन को अवगत कराने हेतु पाबंद किया जाए।

6. साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने हेतु साम्प्रदायिक तत्वों, समाज कंटकों, अपराधिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई की जाए जिसमें धारा 60 पुलिस एक्ट, धारा 510 भा.द.सं., धारा 107, 108, 109, 110 दं.प्र.सं., एच.ओ. एक्ट, गुण्डा एक्ट व राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई शामिल हैं।

7. पुराने विवादों के मामलों में शांति बनाए रखने हेतु संबंधित व्यक्तियों को धारा 107/108, 117 दं.प्र.सं. में पाबंद कराया जाए तथा आवश्यकतानुसार धारा 144 द.प्र.सं. के प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की जाए।

8. साम्प्रदायिक विवाद के पैंडिंग प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

9. दिन सायंकालीन व रात्रि में सघन गश्त की जाए।

10. धार्मिक पर्वों के समय उपयुक्त व सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था की जाए, जिनमें निम्न बातों का विशेष ध्यान रखा जाएः–

(1) साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष रूप से अधिकारियों का चयन कर तैनात किया जाए।

(2) वरिष्ठ अधिकारी स्वयं मोबाईल रहकर व्यवस्था का सुपरविजन करें।

(3) जेबकटी, छेड़खानी, चैन खींचने व वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश हेतु योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी कार्रवाई की जाए।

(4) पटाखों व आतिशबाजी पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्देशों की पालना कराई जाए।

(5) यातायात व्यवस्था हेतु विशेष प्रबन्ध किए जाएं।

(6) आग से निपटने के लिए व घायलों को चिकित्सा हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं।

(7) वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अधिकाधिक प्रयास किए जाएं।

(8) कोई अप्रिय घटना घटित होने पर सभी संबंधित को सूचित किया जाए।

(9) पुलिस वाहन, वायरलैस सेट, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उचित रख–रखाव किया जाए।

(10) आसूचना संकलन पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसमें राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का भी उपयोग किया जाए।

(11) आवश्यकतानुसार रिजर्व पुलिस बल सदा तैयार रखा जाए।

(12) कोई अप्रिय घटना घटित होने पर सभी संबंधित को सूचित किया जाए।

(13) सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों/अफवाहों का तुरन्त खण्डन किया जाए। इस हेतु शान्ति समिति सदस्यों व सी.एल.जी. के सदस्यों के वाट्स–एप ग्रुप बनाए जाएं। शरारती तत्वों के विरूद्ध तुरन्त निरोधात्मक/कानूनी कार्रवाई की जाए। इस हेतु आई.टी. एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाए।

(14) शहर/कस्बों में स्थित सभी धार्मिक स्थलों के बाहर व अन्दर संचालकों/प्रबंधकों से मिलकर सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाए जाकर उनकी रिकॉडिंग को समय–समय पर चैक किया जाए। इसी प्रकार निर्जन स्थानों पर स्थित धार्मिक स्थलों की भी निगरानी की व्यवस्था की जाए तथा रात्रि गश्त के दौरान भी उन्हें चैक किया जाए।

**उपरोक्त उपायों को यथास्थिति उपयोग में लिया जाए।**

**(कपिल गर्ग)**
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. महानिदेशक पुलिस, एस.टी.एस.एस.ओ.जी./प्रशिक्षण/प्रशा., कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान/पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक राजस्थान/समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

# ।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांकः– 849-922 दिनांकः– 11.01.2019.

:: आदेश ::

विषयः–जिला मुख्यालयों, नगरों व बड़े कस्बों में रात्रि गश्त व्यवस्था।

सामान्यतः यह पाया गया है कि वर्तमान में की जा रही रात्रि पुलिस गश्त व्यवस्था पुख्ता एवं कारगर नहीं है, जिसके कारण रात्रि में होने वाले वाहन चोरी, सम्पत्ति संबंधी एवं अन्य अपराधों की प्रभावी रोकथाम नहीं हो पा रही है। कई बार यह पाया गया है कि रात्रि गश्त के समय पुलिसकर्मियों का सम्पूर्ण ध्यान स्वयं की उपस्थिति अंकित कराने की ओर केन्द्रित रहता है व इसी कारण वे अपनी रात्रि गश्त की बीट में विचरण नहीं करते। यही नहीं एक बार उपस्थिति दर्ज होने के उपरान्त वे अनेक अवसरों पर सोते हुए भी पाए जाते हैं। इस प्रकार रात्रि गश्त का महत्व ही समाप्त हो जाता है तथा रात्रि गश्त में नियोजित पुलिस कर्मी अपराधों की रोकथाम में कोई विशेष योगदान नहीं दे पाते। अतः जिला मुख्यालयों, नगरों व बडे कस्बों में सुचारू रात्रि गश्त व्यवस्था व पुलिस बल की चैकिंग हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः–

1. प्रत्येक थाने के क्षेत्र को आवश्यकतानुसार विभिन्न रात्रि गश्त बीट में विभाजित किया जाए।
2. प्रत्येक रात्रि गश्त बीट हेतु थाने पर एक रात्रि गश्त बीट पुस्तिका संधारित की जाएगी, जिसमें बीट वाईज क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर, असामाजिक तत्वों, सक्रिय वांछित अपराधियों, धार्मिक स्थलों आदि तथा प्रत्येक बीट में चैकिंग पुस्तिका रखे जाने वाले स्थानों की जानकारी अंकित होगी।
3. प्रत्येक रात्रि को अधिकाधिक रात्रि गश्त बीट में गश्ती दल भेजे जाऐं। यदि संभव हो तो इस कार्य में स्थानीय नागरिकगण की मदद भी ली जाए। बाजारों व कई रिहायशी इलाकों के चौकीदार, सिक्यूरिटी गार्ड्स, प्राईवेट व्यक्तियों/ संस्थाओं द्वारा तैनात किये जाते हैं, इन्हें भी रात्रि गश्त व्यवस्था में सम्मिलित किया जा सकता है।
4. पुलिस बल की चैकिंग हेतु प्रत्येक रात्रि गश्त बीट में चार या अधिक स्थान चिन्हित किये जाएं जहॉ प्रत्येक रात्रि को एक चेकिंग पुस्तिका रखी जाए। उदाहरणार्थ, यह स्थान किसी अधिकारी के निवास स्थान पर लगी गार्ड, बैंक गार्ड, सरकारी/निजी चौकीदार वाले कार्यालय/स्थान, सरकारी/निजी चिकित्सालय अथवा नर्सिंग होम, बैंक के ए.टी.एम. केन्द्र, धार्मिक स्थान आदि हो सकते हैं।
5. रात्रि गश्त के समय जब भी गश्ती दल चैकिंग पुस्तिका रखी जाने वाले इन स्थानों से गुजरेगा तो दल का प्रत्येक सदस्य अपना नाम, पद एवं नम्बर, तथा समय चेकिंग पुस्तिका में अंकित कर हस्ताक्षर करेगा।
6. यदि कोई पुलिस गश्ती दल एक स्थान से दोबारा गुजरेगा तो वह पुनः उपरोक्तानुसार कारवाई करेगा।
7. इसी प्रकार गश्ती दल को चैक करने वाले अधिकारी भी चैकिंग पुस्तिका में अपना नाम अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे।
8. गश्ती दल यथासम्भव अपना मार्ग बदल–बदल करं निर्धारित बीट में लगातार गश्त करेगा।
9. गश्ती दल बीट में मिलने वाले संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ, आवश्यकतानुसार तलाशी व क्षेत्र में पड़ने वाले हिस्ट्रीशीटरों की चैकिंग एवं धार्मिक स्थलों की चैकिंग आदि का कार्य करेंगे जिसका उल्लेख थाने पर स्थित संबंधित रात्रि गश्त बीट पुस्तिका में आवश्यक रूप से करेगा। उपरोक्त के साथ–साथ यदि गश्ती दल का रात्रि गश्त को अधिक प्रभावी एवं कारगर बनाने के संबंध में कोई सुझाव हो तो वो भी इस पुस्तिका में अंकित करेगा।

10. गश्त का समय समाप्त होने पर थाने के ड्यूटी अधिकारी द्वारा रात्रि में रखी गई समस्त चैकिंग पुस्तिकाएं थाने में एकत्रित कर ली जाएंगी व रात्रि गश्त में नियोजित पुलिस बल एवं चेकिंग अधिकारियों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति इन पुस्तिकाओं के आधार पर ही अंकित की जाएगी।
11. चैकिंग अधिकारी को पुलिस बल की सूची के साथ में रात्रि में विभिन्न स्थानों पर रखी जाने वाली पुस्तिकाओं की सूचना भी थाने पर रात्रि में मौजूद ड्यूटी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
12. गश्त के दौरान पाई गई विशेष परिस्थितियों यथा ज्यादा मुलाजमों की गैर हाजिरी, गश्ती दल की उल्लेखनीय सफलता या ओर कोई विशिष्ठ घटना के उल्लेख सहित एक रिपोर्ट रजिस्टर में दर्ज होकर जिला नियंत्रण कक्ष द्वारा प्रतिदिन जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी।
13. यदा–कदा रात्रि गश्त का समय परिवर्तन किया जाएगा ताकि अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।
14. इस प्रणाली को सरलता से समझने हेतु एक उदाहरण संलग्न प्रेषित है।
15. इस प्रणाली के प्रयोजनार्थ जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त रात्रि गश्त हेतु नगरों/कस्बों एवं चैकिंग पुस्तिका रखे जाने वाले समस्त स्थानों का चयन व पुस्तिकाओं के बनाए जाने की कार्यवाही दिनांक 25.01.2019 तक पूर्ण कर ली जाए व यह प्रणाली दिनांक 01.02.2019 तक पूर्ण रूप से लागू कर दी जाए।
16. आप द्वारा इस प्रणाली को लागू किये जाने वाले शहरों/कस्बों तथा चैकिंग स्थानों की सूची तथा रात्रि गश्त पुस्तिका आदि तैयार करने की पालना से दिनांक 05.02.2019 तक सीआईडी (सीबी) को आवश्यक रूप से अवगत कराएं।

**कृपया इसे अति आवश्यक समझें तथा इस सम्बन्ध में जारी किये गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।**

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(कपिल गर्ग)
**महानिदेशक पुलिस,**
**राजस्थान, जयपुर।**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महानिदेशक पुलिस ए0टी0एस0 एवं एस0ओ0जी0/ प्रशासन एवं कानून–व्यवस्था/ प्रशिक्षण, राजस्थान।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध, राजस्थान।
3. समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान मय पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय समस्त पुलिस उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।

महानिदेशक पुलिस
राजस्थान, जयपुर।

## रात्रि–गश्त व्यवस्था
## उदाहरण

दिनांक 11 व 12.01.2019 की मध्य रात्रि को पुलिस थाना (क) की रात्रि गश्त बीट संख्या (न) में श्री (ख) कानि. 4005 व श्री (ग) गृह रक्षक दल स्वयं सेवक संख्या 5790 की ड्यूटी थी। मध्यरात्रि 12 बजे बीट (न) में (अ), (ब), (स) एवं (द) स्थानों पर रात्रि गश्त चैकिंग पुस्तिकाएं रखी गई। थाने के ड्यूटी अधिकारी, चैकिंग अधिकारी (पूर्व) व चैकिंग अधिकारी (जनरल) क्रमशः (य), (र) तथा (ल) है। रात्रि गश्त का समय 12 बजे मध्यरात्रि से 5 बजे प्रातः तक था। रात्रि गश्त के समय समाप्त होने पर दिनांक 12.01.2019 को चारों पुस्तिकाओं में निम्न प्रकार प्रविष्टियॉ हुईः

**चैकिंग पुस्तिका स्थान (अ)**

दिनांकः 11 / 12.01.2019

| क्रं सं | समय | नाम अधिकारी / कर्मचारी मय पद / बेल्ट नं0 | हस्ताक्षर अधिकारी / कर्मचारी |
|---|---|---|---|
| 1. | 12.00 एएम | ख, कानि0 4005<br>ग, आरएचजी 5790 | ख<br>ग |
| 2. | 12.15 एएम | य, उप निरीक्षक / सहायक उप निरीक्षक (थाने का डी.ओ.) | य |
| 3. | 01.20 एएम | ख, कानि0 4005<br>ग, आरएचजी 5790 | ख<br>ग |
| 4. | 02.00 एएम | र, पुलिस निरीक्षक (डी.ओ. जनरल) | र |
| 5. | 02.40 एएम | ख, कानि0 4005<br>ग, आरएचजी 5790 | ख<br>ग |
| 6. | 03.15 एएम | य, उप निरीक्षक / सहायक उप निरीक्षक (थाने का डी.ओ.) | य |
| 7. | 04.00 एएम | ख, कानि0 4005<br>ग, आरएचजी 5790 | ख<br>ग |
| 8. | 04.30 एएम | य, उप निरीक्षक / सहायक उप निरीक्षक (थाने का डी.ओ.) | य |

**चैकिंग पुस्तिका स्थान (ब)**

दिनांकः 11 / 12.01.2019

| क्रं सं | समय | नाम अधिकारी / कर्मचारी मय पद / बेल्ट नं0 | हस्ताक्षर अधिकारी / कर्मचारी |
|---|---|---|---|
| 1. | 12.20 एएम | ख, कानि0 4005<br>ग, आरएचजी 5790 | ख<br>ग |
| 2. | 12.30 एएम | य, उप निरीक्षक / सहायक उप निरीक्षक (थाने का डी.ओ.) | य |
| 3. | 01.40 एएम | ख, कानि0 4005<br>ग, आरएचजी 5790 | ख<br>ग |
| 4. | 02.30 एएम | ल, पुलिस निरीक्षक (डी.ओ. जनरल) | ल |
| 5. | 03.00 एएम | ख, कानि0 4005<br>ग, आरएचजी 5790 | ख<br>ग |
| 6. | 03.30 एएम | य, उप निरीक्षक / सहायक उप निरीक्षक (थाने का डी.ओ.) | य |
| 7. | 04.20 एएम | ख, कानि0 4005<br>ग, आरएचजी 5790 | ख<br>ग |

चैकिंग पुस्तिका स्थान (स)

दिनांकः 11/12.01.2019

| क्रं सं | समय | नाम अधिकारी/कर्मचारी मय पद/बेल्ट नं0 | हस्ताक्षर अधिकारी/कर्मचारी |
|---|---|---|---|
| 1. | 12.40 एएम | ख, कानि0 4005<br>ग, आरएचजी 5790 | ख<br>ग |
| 2. | 12.45 एएम | य, उप निरीक्षक/सहायक उप निरीक्षक (थाने का डी.ओ.) | य |
| 3. | 02.00 एएम | ख, कानि0 4005<br>ग, आरएचजी 5790 | ख<br>ग |
| 4. | 02.40 एएम | र, पुलिस निरीक्षक (डी.ओ. जनरल) | र |
| 5. | 03.20 एएम | ख, कानि0 4005<br>ग, आरएचजी 5790 | ख<br>ग |
| 6. | 03.45 एएम | य, उप निरीक्षक/सहायक उप निरीक्षक (थाने का डी.ओ.) | य |
| 7. | 04.40 एएम | ख, कानि0 4005<br>ग, आरएचजी 5790 | ख<br>ग |

चैकिंग पुस्तिका स्थान (द)

दिनांकः 11/12.01.2019

| क्रं सं | समय | नाम अधिकारी/कर्मचारी मय पद/बेल्ट नं0 | हस्ताक्षर अधिकारी/कर्मचारी |
|---|---|---|---|
| 1. | 12.30 एएम | र, पुलिस निरीक्षक (डी.ओ. जनरल) | र |
| 2. | 01.00 एएम | ख, कानि0 4005<br>ग, आरएचजी 5790 | ख<br>ग |
| 3. | 01.35 एएम | य, उप निरीक्षक/सहायक उप निरीक्षक (थाने का डी.ओ.) | य |
| 4. | 02.20 एएम | ख, कानि0 4005<br>ग, आरएचजी 5790 | ख<br>ग |
| 5. | 03.00 एएम | र, पुलिस निरीक्षक (डी.ओ. जनरल) | र |
| 6. | 03.40 एएम | ख कानि0 4005<br>ग, आरएचजी 5790 | ख<br>ग |
| 7. | 04.15 एएम | य, उप निरीक्षक/सहायक उप निरीक्षक (थाने का डी.ओ.) | य |
| 8. | 04.50 एएम | ख, कानि0 4005<br>ग, आरएचजी 5790 | ख<br>ग |

नोटः— उपरोक्त उदाहरण एक सामान्य जिले का है। पुलिस कमिश्नरेट जयपुर/जोधपुर में त्रिस्तरीय गश्त चैकिंग व्यवस्था संभव है। अतः इसे तदानुसार संशोधित कर लिया जाए।

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांकः व-15( ) पुलिस-प्रशासन/2017/172 दिनांक :- 01/02/19

स्थाई आदेश सं0 03/2019

पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित वर्दी धारण करने के सम्बन्ध में समय-समय पर आदेश एवं परिपत्र जारी करने के उपरान्त भी जिलों/यूनिटों में पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी, यहाँ तक कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी, कार्य दिवस के दौरान कार्यालय में मौजूदगी के दौरान निर्धारित यूनिफॉर्म में नहीं पाये जाते हैं। ऐसे अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर किसी मौके/घटना स्थल पर जाने के समय भी सादावस्त्रों में, यहाँ तक कि कई बार अत्यधिक कैजुअल(Casual) वस्त्रों में चले जाते हैं, जो उचित नहीं है। इससे न केवल अधीनस्थ पुलिसकर्मियों बल्कि आमजन के मन में भी पुलिस अधिकारी की छवि एवं वर्दी के सम्मान को लेकर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष में समय-समय पर प्रसारित पूर्व आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए, उनके अतिक्रमण में निम्नांकित आदेश प्रसारित किये जाते हैं, जिनकी पालना तुरन्त प्रभाव से सुनिश्चित की जाये :-

(1) पुलिस मुख्यालय में (सीआईडी अपराध व राज्य विशेष शाखा में सादे कपड़ों में सुरक्षा ड्यूटी व सूचना एकत्रीकरण में लगे स्टाफ को छोड़कर) अन्य कार्यालयों में नियुक्त सभी अधिकारी व कर्मचारी सोमवार को वर्दी में रहेंगे। शेष कार्य दिवसों में कार्मिक औपचारिक वस्त्र धारण करेंगे। (जीन्स, टीशर्ट व स्पोर्टस शूज आदि नहीं पहनेंगे।)

(2) सभी रेन्जों/जिला/यूनिट कार्यालयों में बुधवार के अलावा शेष सभी कार्य दिवसों में सभी अधिकारी व कर्मचारी वर्दी में रहेंगे। बुधवार को विशेष परिस्थितियों व आवश्यकताओं के अनुरूप जहाँ वर्दी पहनना आवश्यक होने पर वहाँ इसे पहनेंगे।

(3) आरएसी के अधि0/कर्म0 फील्ड ड्यूटी में कार्यरत होने पर पूरे समय वर्दी पहनेंगे। अन्यथा बुधवार को छोड़कर शेष सभी कार्य दिवसों में दोपहर तक वर्दी पहनेंगे व दोपहर पश्चात् सभी खेल की वर्दी पहनेंगे। जिन्हें आवश्यक रूप से वर्दी पहननी है, वे दोपहर के बाद भी वर्दी पहनेंगे।।

(4) प्रशिक्षण केन्द्रों में बुधवार व शनिवार के अलावा सभी कार्य दिवसों में सभी अधिकारी व कर्मचारी दोपहर तक वर्दी में रहेंगे। दोपहर पश्चात खेल की वर्दी पहनेंगे।

(5) पुलिस मुख्यालय व अन्य कार्यालयों में कार्यरत आफिस अर्दली व ड्राईवर सभी कार्य दिवसों में वर्दी में रहेंगे। आफिस अर्दली व ड्राईवर वर्किंग ड्रेस पहनेंगे।

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांकः–व–15( )पुलिस/प्रशासन/2017/ 72 दिनांक 17.01.19

## आदेश

दिनांक 11.01.19 को सतर्कता शाखा द्वारा किये गये Decoy Operation के दौरान यह ध्यान मे लाया गया है कि पुलिस कर्मियों द्वारा राज्य कार्य के दौरान रिफ्लेक्टर जैकेट/यूनिफॉर्म जैकेट पहनने के उपरान्त उनकी नेम प्लेट, रेंक हेतु फीत/चिन्ह आदि छुप जाते है जिससे उनकी पहचान छुप जाती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारी वर्दी के ऊपर पहनी हुई रिफ्लेक्टर जैकेट/यूनिफॉर्म जैकेट के ऊपर नेम प्लेट, रेंक हेतु फीत/चिन्ह आदि लगावे ताकि अधिकारी/कार्मिक की पहचान नही छुपे। इस आदेश की पालना सुनिश्चित करावे।

17/1

(एम.एल. लाठर)
महानिदेशक पुलिस
प्रशासन, कानून एवं व्यवस्था,
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
2– पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर
3– समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान।
4– समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जीआरपी अजमेर/जोधपुर।
5– पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।
6– समस्त कमाण्डेन्ट, आरएसी/प्रशिक्षण केन्द्र राजस्थान।

17/1

महानिदेशक पुलिस
प्रशासन, कानून एवं व्यवस्था,
राजस्थान जयपुर